मैनुअल 4

The norms set by it for the discharge of its functinos.
(कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम)

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक (स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस) निर्धारित किए हैं। जयपुर डिस्कॉम के लिये नीति निर्धारण, नियमों आदि का निर्माण, टैरिफ का निर्धारण, विभिन्न प्रकार के शुल्कों का निर्धारण आदि कार्य राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता हैं। टैरिफ दर, अन्य प्रकार के शुल्क अथवा अन्य मामलों में जयपुर डिस्कॉम के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर राजस्थान राज्य आयोग में निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ नियमानुसार याचिका दायर की जा सकती है।